



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी रोबिन उर्फ सीटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त रोबिन उर्फ सीटू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोबिन उर्फ सीटू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

baghpatpolice



नि0 शिवदत्त विवेचक



का0 सुनील कुमार कोर्टपैराकार

Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.09.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से तरस्करी में प्रयुक्त एक महेन्द्रा पिकअप नं० UP17B9974 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तरस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से तरस्करी में प्रयुक्त एक बुलेरो पिकअप नं० UP17B9974 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु बरामद हुए हैं । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 621/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नसीब पुत्र सरूप निवासी ग्राम मन्डाना जनपद भिवानी हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- तरस्करी में प्रयुक्त एक महेन्द्रा पिकअप नं० UP17B9974

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 15 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3.का० 1042 अनवीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

